न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—हरि मोहन मीना, I.A.S.

प्रकरण संख्या —182/2010 (अपील)

GCMS No.- 2010/00002

1. रमेशचन्द आत्मज स्व0 मोडूलाल जाति गुर्जर निवासी 4—एम—1 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
2. रामचन्द्र आत्मज स्व0 मोडूलाल जाति गुर्जर निवासी 4—एम—2 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
3. श्रीमति छोटा बाई पुत्री स्व0 मोडूलाल पत्नि राधेश्याम जाति गुर्जर निवासी 1—एम—29 रंगबाडी योजना कोटा
4. श्रीमति माना बाई पुत्री स्व0 मोडूलाल पत्नि प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा
5. श्रीमति प्रेम बाई पुत्री स्व0 मोडूलाल पत्नि गंगाबिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा
6. श्रीमति चन्दा बाई पुत्री स्व0 मोडूलाल पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर निवासी हनुमान बस्ती दादाबाडी कोटा
7. श्रीमति कैलाश बाई विधवा पत्नि रामरतन जाति गुर्जर निवासी गोबरिया बावडी कोटा
8. श्रीमति घींसी बाई विधवा पत्नि स्व0 रामरतन जाति गुर्जर निवासी रंगबाडी कोटा
9. हरिओम आत्मज स्व0 रामरतन मृतक जरिये कायम मुकामान—
   9/1 गणेश आत्मज स्व0 हरिओम
   9/2 हरि शंकर आत्मज स्व0 हरिओम नाबालिग
   9/3 शिवानी पुत्री स्व0 हरिओम नाबालिग जरिये वलिया माता श्रीमति अन्जना पत्नि स्व0 हरि ओम
   9/4 श्रीमति अन्जना पत्नि स्व0 हरिओम
   9/5 श्रीमति कैलाश बाई बेवा रामरतन जाति गुर्जर निवासीगण गोबरिया बावडी कोटा
10. विनोद आत्मज स्व0 रामरतन जाति गुर्जर निवासी गोबरिया बावडी कोटा
11. गीता बाई पुत्री स्व0 रामरतन जाति गुर्जर निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा कोटा
12. श्रीमति सन्जू पुत्री स्व0 रामरतन पत्नि राजकिशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम चन्द्रसेल तहसील लाडपुरा जिला कोटा
13. यशोदा पुत्री स्व0 रामरतन जाति गुर्जर निवासी गोबरिया बावडी कोटा तहसील लाडपुरा
14. कृष्णा पुत्री स्व0 रामरतन जाति गुर्जर
15. विष्णु पुत्री स्व0 रामरतन जाति गुर्जर नाबालिगान जरिये वलिया माता श्रीमति कैलाश बाई विधवा पत्नि स्व0 रामरतन जाति गुर्जर निवासीगण गोबरिया बावडी कोटा तहसील लाडपुरा
16. राजू आत्मज स्व0 रामरतन जाति गुर्जर निवासी गोबरिया बावडी कोटा तहसील लाडपुरा
17. राधा किशन माता स्व0 श्रीमति नट्टी बाई पिता श्रीराम
18. जीतेश माता स्व0 श्रीमति नट्टी बाई पिता श्रीराम जाति गुर्जर निवासीगण उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा
19. श्रीमति रिंकू पुत्री श्रीराम माता स्व0 श्रीमति नट्टी बाई पत्नि लड्डूलाल जाति गुर्जर निवासी गोबरिया बावडी कोटा तहसील लाडपुरा कोटा
20. श्रीमति सुनीता पुत्री श्रीराम माता स्व0 श्रीमति नट्टी बाई पत्नि राधेश्याम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बूंदी जिला बूंदी
21. श्रीमति अनिता पुत्री श्रीराम माता स्व0 श्रीमति नट्टी बाई पत्नि बलवीर जाति गुर्जर निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

जिला कलक्टर
कोटा

बनाम

1. स्व0 दीन दयाल भार्गव आत्मज श्री छोटूलाल भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी 3–पी–7 दादाबाडी निस्तार योजना कोटा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1 अक्षय आत्मज स्व0 दीनदयाल भार्गव जाति ब्रह्मण निवासी 3–पी–7 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
   1/2 अजय आत्मज स्व0 दीनदयाल भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी 3–पी–7 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
   1/3 श्रीमति रेखा पुत्री स्व0 दीनदयाल भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी 3–पी–7 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
   1/4 श्रीमति साधना पुत्री स्व0 दीनदयाल भार्गव पत्नि प्रदीप जाति ब्राह्मण निवासी 4–एन–4 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 19.6.2003 नायब तहसीलदार मण्डाना मि0नं0 156/2003 मृतक मोडूलाल आत्मज उदा जाति गर्जर निवासी ग्राम आंवली द्वारा आराजीयात की वसीयत की जांच निर्णय

प्रकरण संख्या–184/2010
जीसीएमएस नं0 2010/00001

1. कैलाश बाई बेवा रामरत, 2. घींसी बेवा रामरतन, 3. स्व0 हरिओम जर्ये का0मु0 3/1 गणश, 3/2 हरिशंकर, 3/3 शिवानी, 3/4 अन्जना, 4 विनोद पुत्र रामरतन, 5 गीता पुत्री रामरतन, 6 सन्जू पुत्री रामरतन, 7 यशोदा पुत्री रामरतन, 8 कृष्णा पुत्री रामरतन, 9 विष्णु पुत्री रामरतन, 10 राज पुत्र रामरतन, 11 रमेशचन्द पुत्र मोडू, 12 रामचन्द्र आत्मज मोडू, 13 प्रेम बाई पुत्री मोडू, 14 राधाकिशन, 15 जीतेश, 16 सुनीता, 17 अनिता, 18 रिंकू,19 छोटा बाई पुत्री मोडूलाल, 20 माना बाई पुत्री मोडूलाल, 21 चन्दा बाई पुत्री मोडूलाल, जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. स्व0 दीन दयाल भार्गव आत्मज श्री छोटूलाल भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी 3–पी–7 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1 अक्षय आत्मज स्व0 दीनदयाल भार्गव जाति ब्रह्मण निवासी 3–पी–7 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
   1/2 अजय आत्मज स्व0 दीनदयाल भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी 3–पी–7 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
   1/3 श्रीमति रेखा पुत्री स्व0 दीनदयाल भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी 3–पी–7

जिला कलक्टर
कोटा

दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
1/4 श्रीमति साधना पुत्री स्व0 दीनदयाल भार्गव पत्नि प्रदीप जाति ब्राह्मण निवासी 4–एन–4 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

अपील बनाराजी आदेश इन्तकाल नं0 687 दिनांक 28.6.2010 अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः–
1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
1. श्री बृजराज सिंह, राजकीय अभिभाषक

उपरोक्त अपील सं0 182/2010 एवं 184/2010 में पक्षकारान एवं वकील एक ही होने तथा विषयवस्तु भी एक ही होने से दौनों अपीलों का निर्णय एकसाथ ही किया जा रहा है ।

निर्णय

दिनांक–30.05.2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्व0 मोडूलाल आत्मज स्व0 उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा की खाते व कब्जे काश्त की ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा कोटा की 8 किता की 15.14 हे0 भूमि की अन रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.2.2000 की वसीयत कर्ता मोडूलाल आत्मज उदा गुर्जर की मृत्यु के बाद वसीयत गृहिता दीनदयाल भार्गव की प्रार्थना पर वसीयत की सुनवाई कर मि0नं0 156/2003 आदेश दिनांक 19.6.2003 से वसीयत की सत्यता प्रमाणित मानते हुए वसीयतगृहिता रेस्पोडेन्ट दीनदयाल भार्गव के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये ।

2. उक्त वसीयत आदेश दिनांक 156/2003 की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 26.10.2010 को पेश की गई, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर मि0नं0 182/2010 कायम किये गये । इसी प्रकार उक्त आदेश की अनुपालना में नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 28.6.2010 दर्ज कर वसीयत गृहिता दीनदयाल भार्गव के पक्ष में स्वीकृत किया गया । जिसकी अपील पृथक से पेश की गई जिसके मिसल नम्बर 184/2010 कायम किये गये । प्रस्तुत दौनों अपीलों में पक्षकारान एक ही है रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । रेस्पोडेन्टगण की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु बावजूद सूचना के दौराने बहस अनुपस्थित रहे । वकील रेस्पोडेन्ट काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है । दौनों ही अपीलों की विषयवस्तु एक ही होने से दौनों की बहस एकसाथ ही सुनी जाकर एकसाथ ही निर्णय किया जा रहा है । रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट को रूक रूककर आवांजे लगवाई गई, किन्तु कोई उपस्थित नहीं होने से वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खातेदार श्री मोडूलाल आत्मज श्री उदा जाति गर्जर निवासी ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा

जिला कलक्टर
कोटा

जिला कोटा का दिनांक 15.6.2000 को स्वर्गवास हो गया उनके खाते व कब्जे में ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में 16.32 हे0 कृषि भूमि थी । उक्त श्री मोडूलाल के तीन पुत्र अपीलान्ट कम 1 रमेशचन्द, अपीलान्ट नं0 2 रामचन्द्र एवं रामरतन जी थे । तथा 5 पुत्रियां थी व विधवा पत्नि थी । श्री मोडूलाल जी एक पुत्र श्री रामरतन एवं पुत्री श्रीमति नट्टी बाई व उनकी विधवा पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है । अपीलान्ट नं0 1 लगायत 6 उनके पुत्र व पुत्रियां होने से अपीलान्ट नं0 7 उनकी विधवा पुत्रवधु होने से अपीलान्ट नं0 लगायत 16 उनके पोत्र एवं पोत्रीयां होने से तथा अपीलान्ट नं0 17 लगायत 21 उनके जवासे नवासियां होने से उनके प्राकृतिक उत्तराधिकारी है तथा कानूनन उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को सूचना दिये बिना ही एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही उत्तराधिकारी एवं वसीयत के सबंध में जांच किये बिना ही सर्वथा गैर कानूनी रूप से मनमाने तौर पर एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पो0 कम 1 का मोडूलाल एवं अपीलान्टान से कोई संबंध नहीं था, श्री मोडूलाल जी ने रेस्पो0 कम 1 के पक्ष में दिनांक 29.2.2000 को अथवा किसी अन्य तारीख को कोई वसीयत नामा निष्पादित नहीं किया था तथाकथित वसीयतनामा एक कूट रचित एवं बनावटी दस्तावेज है जो रेस्पो0 कम 1 द्वारा षडयंत्र पूर्वक फर्जी रूप से तैयार किया गया था । श्री मोडूलाल जी एक अनपढ व अशिक्षित व्यक्ति थे जो केवल हस्ताक्षर करना जानते थे तथाकथित वसीयत के गवाहान श्री रेस्पो0 कम 1 के कर्मचारी है जो रेस्पो0 कम 1 में हित बद्व व्यक्ति है इस प्रकार उपरोक्त तथाकथित वसीयत संदेहास्पद थी । वसीयत के संबंध में जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत वसीयत प्रमाणित होना मान कर हुक्म जैर अपील प्रदान किया है । रेस्पो0 कम 1 ने तथा कथित वसीयत के संबंध में माननीय जिला न्यायाधीश कोटा में उपरोक्त वसीयत के संबंध में प्रोबेट प्रमाण पत्र वसीयत उत्तराधिकारी घोषित किये जाने के लिये कार्यवाही कर रखी है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है । उक्त कार्यवाही को अपीलान्टान बलपूर्वक कन्टेस्ट कर रहे है । रेस्पो0 नं0 1 ने उक्त तथ्य को छिपा कर गलत तथ्य बताकर हुक्म जैर अपील के आधार पर नामा0 सं0 687 दिनांक 28.6.2010 को अपीलान्टान की अनुपस्थिति में सर्वथा अवैध रूप से अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया । कथित वसीयत एक अपंजीकृत दस्तावेज है । राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के अन्तर्गत अपंजीकृत वसीयत के आधार पर कानूनन नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत रेस्पो0 कम 1 के पक्ष में इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गैर कानूनी, मनमाना एवं त्रुटि पूर्ण है । उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित रिमाण्ड निर्देशों की पालना किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के संबंध में समुचित रूप से जांच किये ना ही अपीलान्टान को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही वसीयत के आधार पर हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर हुक्म जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर पारित आदेश दिनांक 19.6.2003 एवं उक्त आदेश की पालना में खोला गया नामान्तरकरण सं0 687 दिनांक 28.6.2010 निरस्त फरमावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने अपीलान्ट की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील नायब तहसीलदार मण्डाना के वसीयत के प्रमाणितकरण के संबंध में जारी आदेश दिनांक 19.6.2003 के संबंध में अपील दिनांक 26.10.2010 एवं नामा0 सं0 687 दिनांक 28.6.2010 के संबंध में दिनांक 27.9.2010 को पृथक पृथक अपीलें लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, जिनके मिसल नम्बर क्रमशः आदेश दिनांक 19.6.2003 के संबंध में पेश अपील के 182/2010 एवं नामा0 सं0 687 के विरूद्व पेश अपील के मि0नं0 184/2010 कायम किये गये । दौनों ही अपीलों में पक्षकार एक ही होने एवं विषयवस्तु एक ही होने से एकसाथ ही निर्णित की जा रही है । चूंकि वसीयत के आदेश का नामा0 28.6.2010 को खोला गया है जिसकी अपील विलम्ब से पेश की है किन्तु प्रस्तुत अपीलों के साथ प्रस्तुत लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र का वकील रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ओर ना ही विलम्ब को क्षम्य के संबंध में कोई खण्डन किया है, जबकि वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018–19 (Supp) पेज नं0 145 गुट्टी देवी बनाम बस्तीराम वगै0 में यह दृष्टान्त प्रतिपादित किया है कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज क आधार पर नामान्तरकरण खोला और घोर अवैधता कारित की, शून्य आदेश को को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलों का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है ।

5. प्रकरण में विवादित वसीयत एक अन रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा वसीयत प्रमाणित माना है । वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार रेस्पो0 कम 1 ने वसीयत के संबंध में माननीय जिला न्यायाधीश कोटा में प्रोबेट प्रमाण पत्र वसीयत उत्तराधिकारी घोषित किये जाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ है जो अभी जैरकार होना बताया है, ऐसी स्थिति मे प्रोबेट प्रमाण पत्र के लिए रेस्पो0 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही विचाराधीन होते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रमाणित मानकर रेस्पो0 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करना उचित कार्यवाही नहीं है । यहां यह भी प्रश्न उठता है कि वसीयतकर्ता मोडूलाल जाति से गुर्जर है तथा अपने परिवार में कुल 21 विधिक वारिसानों के होते हुए अन्य जाति के व्यक्ति रेस्पो0 के नाम वसीयत करना संदेह प्रकट करता है । अन रजिस्टर्ड वसीयत को नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित मानकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही उचित नहीं है, जबकि प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है । वकील अपीलान्ट द्वारा RRT 2011 (1)पेज नं0 646 ब्रिज मोहन बनाम महावीर प्रसाद वगै0 में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दृष्टान्त प्रतिपादित किया है कि अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण कियान्वित नहीं किया जा सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में लागू होता है ।ऐसी स्थिति में हम यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन रजिस्टर्ड वसीयत के सम्बन्ध में जारी आदेश 19.6.2003 एवं उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तकरण सं0 687 निरस्त योग्य है, प्रकरण में सभी विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए सभी पक्षों को सुना जाकर विधि अनुरूप कार्यवाही

जिला कलक्टर
कोटा

हेतु प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

6. उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.6.2003 एवं स्वीकृत नामा0 सं0 687 दिनांक 28.6.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वसीयत में सभी प्रभावित पक्षकारों एवं मृतक खातेदार मोडूलाल के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा माननीय सिविल न्यायालय के प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर विधि अनुरूप कार्यवाही करते हुए निर्णाय पारित करें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे ।

7. निर्णय आज दिनांक 30.5.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

30/5/2022

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा